2710/1

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 1583 /05/76/एक/2015-16 दिनांक : 18 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-रायबरेली।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0917000102014168	IFSC Code PUNB0091700	25.752

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रायबरेली	वार्ड नं0 12 सैयद राजन में अनवारून के मकान से नाजमी बेगम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.851
2	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रायबरेली	वार्ड नं0 12 सैयद राजन मे शमीम के घर से कब्रिस्तान की पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	10.156
3	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रायबरेली	वार्ड नं0 12 मो0 बड़ा खतराना में निसार अहमद के घर से जिलानी के घर तक एवं शिखा के घर से शमीम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.658
4	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रायबरेली	वार्ड नं0 12 मो0 बड़ा खतराना में गुड्डू के मकान से मेराज अहमद खाँ के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.046
5	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रायबरेली	वार्ड नं0 12 मो0 बड़ा खतराना में चुन्नन खाँ के घर से बन्ने के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं एक तरफ नाली निर्माण कार्य।	1.326
6	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रायबरेली	वार्ड नं0 12 मो0 बड़ा खतराना में कन्धई मैड़ीलाल के घर से राम चन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं एक तरफ नाली निर्माण कार्य।	0.894
7	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 रायबरेली	वार्ड नं0 12 मो0 बड़ा खतराना में सुन्दर के घर से मकसूद के घर होते हुये कासिम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.821
	योग				25.752

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

1 उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

दूरभाष : 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

SUDA

2-70/2

2. [illegible] स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और [illegible] सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य को विभागों द्वारा [illegible] न कर दिया जाये।

3. [illegible] योजना में [illegible] कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली [illegible] उपरान्त ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4. [illegible] की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार [illegible] किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है [illegible] कि [illegible] दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को [illegible] सुनिश्चित करें।

5. [illegible] स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य [illegible]/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6. [illegible] परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत [illegible] कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7. [illegible] परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित [illegible] में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों [illegible] की सहमति ले ली जाये।

8. [illegible] की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में सुनिश्चित कर लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण [illegible] अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण [illegible] धनराशि [illegible] की जाती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज [illegible] की गई धनराशि पर देय होगा।

9. [illegible] द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित [illegible] के प्रतिशतों में [illegible] मद में [illegible] की जायेगी [illegible] परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि [illegible] उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जाये।

10. [illegible] परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य वैधिक [illegible] के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11. [illegible] की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी [illegible] द्वारा [illegible] के रूप में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही [illegible] यदि कार्य/धनराशि की [illegible] हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध [illegible] सुनिश्चित करें। [illegible] की स्थिति में जनपद के [illegible] होंगे।

12. [illegible] परियोजना में [illegible] के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य [illegible] धनराशि के [illegible] कार्य [illegible] सूचना [illegible] धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

([illegible])

निदेशक

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]